न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदी लाल मीना (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :— 70 / 2023

स्टेट जरिये श्री जीतसिंह यादव, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़

अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ प्रार्थी

—:बनामः—

हरीश कुमार पुत्र भोलाराम (मालिक एवं विक्रेता)
मैसर्सः—बालाजी ट्रेडिंग कंपनी, जी.एम. रिसोर्ट के पीछे, सुपर मार्किट, सतीपुरा
बाईपास रोड़, हनुमानगढ़ टाउन, हनुमानगढ़।
निवासीः—विश्वकर्मा मंदिर के पीछे, किराना भवन के पास, हनुमानगढ़ टाउन, जिला हनुमानगढ़।

—अप्रार्थी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 (2) (2) एवं धारा 51

उपस्थितः—

1. श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य पक्ष।
2. श्री कमलेश स्वामी, अभिभाषक अप्रार्थी।

—:निर्णयः—

दिनांक :—27.11.2025

प्रार्थी श्री जीतसिंह यादव, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जीतसिंह यादव दिनांक 13.11.2021 को बाद दोपहर 12.50 बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने गश्त खाद्य पदार्थों की चैकिंग हेतु सामान नमूनीकरण बैग सहित मैसर्सः—बालाजी ट्रेडिंग कंपनी, जी.एम. रिसोर्ट के पीछे, सुपर मार्किट सतीपुरा बाईपास रोड़, हनुमानगढ़ टाउन पर पहुंचा। उक्त दुकान के विक्रेता को परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उससे नाम एवं पता पूछा जिस पर विक्रेता ने अपना नाम हरीश कुमार पुत्र भोलाराम (मालिक एवं विक्रेता) निवासी—विश्वकर्मा मंदिर के पीछे, किराना भवन के पास, हनुमानगढ़ टाउन, जिला हनुमानगढ़ का होना बताया। उक्त विक्रेता से खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति / रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर उक्त विक्रेता ने मौके पर खाद्य पदार्थ अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि उक्त दुकान पर गत्ते की पैंकिग में 500 ग्राम वजनी Soan Papdi (Bikano) के 20 पैकेट आमजन को बिक्री वास्ते रखा हुआ था। उक्त Soan Papdi (Bikano) मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर गवाहन की उपस्थिति में विक्रेता को फार्म नं. 05 ए देकर सूचित करते हुये उक्त स्थल पर रखे हुये Soan Papdi (Bikano) में से 500 ग्राम वजनी पैंकिग के 04 पैकेट Soan Papdi (Bikano) वास्ते नमूना जांच खरीदा। उक्त खरीदशुदा Soan Papdi (Bikano) की कीमत विक्रेता को 600 / —रूपये का नगद भुगतान किया तथा माल खरीद रसीद बनवाकर ली। जिस पर विक्रेता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना जांच हेतु क्रय किये गये 04 पैकेट Soan Papdi (Bikano) को मूल ही अलग—अलग चार जगह बांधकर विक्रेता एवं गवाहान के समक्ष लेबल तैयार कर उन पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक एके—2005 दर्ज कर विक्रेता, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर व खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक पैकेट पर चिपकाया। प्रत्येक पैकेट को अलग—अलग मूल पॉली पैक सहित मोटे खाकी कागज में लपेट कर एवं किनारों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाकर प्रत्येक पैकेट पर पेपर स्लिप कोड एवं सीरीयल नं. एके—2005 जो डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित थी, को चारों भागों पर नीचे से ऊपर तक पूरे राउण्ड पर गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार चार—चार जगह ऊपर नीचे एवं दोनों साइडों पर सील चपड़ी कर प्रत्येक सील्ड नमूने पर विक्रेता के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व आधे खाकी कागज पर आ गये एवं गवाहान व खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर कर चारों सील्ड नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर व सही मानकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता एवं गवाहन ने भी पढ़कर, सुनकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5 ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए एवं फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णायक आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 06 की छः प्रतियां तैयार की एवं प्रत्येक फार्म पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया गया था। इसके पश्चात एक नमूना भाग मय फार्म नं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सील मोहर कर श्रीमान खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर को जांच हेतु जमा कराया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ के पत्रांक 18563—64 दिनांक 07.12.2021 द्वारा ज्ञात

न्याय निर्णायक अधिकारी एवम्
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

हुआ कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, बीकानेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया Soan Papdi (Bikano) सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। उक्त पत्रांक एवं जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। कार्यालय पत्रांक 13677 दिनांक 28.09.2022 द्वारा उक्त फर्म से संबंधित जानकारी चाही गई। जिस पर उक्त पत्र के क्रम में कोई भी प्रतिउत्तर पत्र प्राप्त नहीं हुआ। उक्त पत्रांक न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ के पत्रांक 2972–73 दिनांक 15.02.2023 द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है। प्रकरण में सबस्टैण्डर्ड Soan Papdi (Bikano) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (2) (2) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। इसलिए विक्रेता पर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। जिसकी पावती संलग्न पत्रावली है।

अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि The Procedural discrpancies commited by the FSO, Hanumangarh. The complaint explicitly states that the FSO lifted a sample of Soan Papdi (Bikaji). However, the food anaylyst received the sample of Soan Papdi (Bikano). It is essential to note that Bikano and Bikaji are two separate and district brands. This discrepancy rasies serious concern about the sample of the impugned product. Furthermore, the FSO, Hanumangarh's complaint specifies that 500 grams of soan papdi (Bikaji) was lifted, yet the food analyst only received 450 grams of Soan Papdi (Bikano). Since the sample analyzed by the food analyst is different from the sample lifted by the FSO, it is compromised the chain of custody, casting significant doubt on the integrity of the sample. As a result, the prosecution is fundamentally flawd and should not be allowed to proceed. Furthermore, is it imperative to mention here that the FSO picked the sample of the impugned product on 03.11.2021 and filed the complaint before the Hon'ble court in the year 2023. Thus, the one year time as prescribed under section 77 of the FSS Act to take cognizance of the offense has been expired. Hence, the present complaint is false, frivolous, vexatious and sheer abuse of the process of law and is liable to be dismissed for the sake of equity & natural justice. Without prejudice the above averments, it is imperative to mention here that Butyro Refractometer (BR) reading testes are specifically conducted to determine the index of purity of foods such as ghee, sweets, fats and oils, which can be accurately measured with the help of a Butyro Refractometer Meter or BR meter. However, in the instant case, the food analyst has erroneously conducted the BR test on the impugned product, which is not ghee or oil but a processed Soan Papdi containing various other ingredients. This test, therefore, is not suitable for accurately assessing the purity of the impugned product. Furtheremore, the BR reading of extracted fat in the impugned product is recorded as 43.56. However, the prescribed standard is 40.0 to 43.0. The discrepancy of 0.56 is minimal and so low that it could be attributed to an inadvertent error made by the Food Analyst during the analysis of the sample, which may have resulted in this slight deviation. It is also significant to highlight the fact that defendant is neither the manufacturer nor the packer of the impugned product. Defendant sells the impugned product in the same package and in the same condition as it receives from the manufacturer. Hence the defendant is liable to get the benefit of section 80 (B)(2)(d) of the FSS Act. Therefore, the complaint is liable to be dismissed as no cause of action ever arose in favor of the complainant and against the defendant and therefore the defendant are not liable to be held under section 51 of the FSS Act and complaint be dismissed out rightly. Without prejudice to the abovementioned defenses, section 49 of FSS Act providese that the Adjudicating Officer or the tribunal while adjudging the quantum of penalty shall have due regard to the following factors:-

a. The amount of gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention,
b. The amount of loss caused or likely to cause to any person as a result of the contravention,
c. The repentitive nature of the contravention,
d. Whether the contravention is without his knowledge, and
e. Any other relevant factor

Hence, it is pertinent to mention here that the Ld. ADM has to keep abovementioned factors into consideration while passing any order. It is prayed

न्याय निर्णायक अधिकारी एवम्
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ

before your Ld. Court to kindly dismiss the complaint against defendant in the interest of justice and equity. At the end the learned councel prayer to court to dismiss the present complaint as being false, frivolous and sans and cause of action against the defendant, grant exemplary costs in favour of the defendant as against the complainant & pass any other and/or relief which this Hon'ble court may deem fit and proper in the fact and circumsatances of the matter. Learned councel has cited the following judical precedents in support of his argument:-1-Sri. V. V. S. S. R. Prakash Rao vs The state of Telangana (criminal petition no. 8410 of 2018), 2-D. Anitha vs The state of Telangana (criminal petition no. 262 of 2019), 3-P.S. Sharma vs Madanlal Kasturichandji [(2009) 16 SCC 276]. अभिभाषक द्वारा पेश किये गये न्यायिक नजीरे पूर्णतया चस्पा नहीं होते। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लैब रिपोर्ट के अनुसार अधिक से अधिक जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया व पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थी द्वारा खण्डन किसी प्रकार का साक्ष्य आधारित नहीं किया गया है और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से निरीक्षण के दौरान क्रय की गई Soan Papdi (Bikano) की जांच में Substandard की रिपोर्ट आई है। ऐसी स्थिति में हम अन्य साक्ष्यों को तलब करना आवश्यक नहीं समझते हैं और स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी द्वारा Substandard Soan Papdi (Bikano) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी के Substandard कृत्य के लिए धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 5,000/–(अखरे रूपये पांच हजार मात्र) की शास्ति आरोपित की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि लगाई गई शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में निर्णय से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की एक–एक प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 27.11.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

(उम्मेदी लाल मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़